



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक 397 / 12-1

दिनांक 05/08/2021

सेवा में,

अधिकांसी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0-कीर्तिनगर।

डि. 1853
पु. 33C
डि. 24/8/21

विषय :- जनपद-टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत खोला धारपयांकोटी मोटरमार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्यालसौड़ पनयाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटरमार्ग के नव निर्माण हेतु 3.9737 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/42172/2019.

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक- 08बी०/यू०सी०पी०/०६/३०/२०२१/एफ०सी०/४०५ दिनांक २२-०७-२०२१ के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की सर्शत सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है, जिसके अनुपालना हेतु डिमाण्ड नोट निम्नवत् जारी किया जाता है।

- 1- शर्त संख्या-01 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2- शर्त संख्या-02 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।
- 3- शर्त संख्या-03 (क) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के व्यय पर 7.9474 हे० ग्राम-धारकोट, सिविल की खसरा संख्या-87, 72, 369, 393, 386, 1845, 1851, 301, 303, 405, एवं 32 सिविल सोंयम भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु मु० 29,47,707.00 धनराशि जमा करनी होगी। जहाँ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-1459/3-5-2 P.O दिनांक 01-07-2021 के अनुसार निर्धारित किया गया है।

वसूली वर्ष 2020-21 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि का विवरण -

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि -	3.9737 X 2 = 7.9474 हे०
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे०-	03,70,902.00 प्रति हे०
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि-	7.9474 X 3,70,902.00 = 29,47,706.55
	या 29,47,707.00

शर्त संख्या-03 (ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम-धारकोट, सिविल की गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। गाईड लाइन पैरा-2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाये सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

शर्त संख्या-03 (ग) के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन मण्डल अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

शर्त संख्या-03 (घ) के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र में कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

शर्त संख्या-03 (ङ) के अनुपालन में 0 से 30 सेमी० गोलाई के वृक्षों को प्रभावित क्षेत्र से निकाल कर क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र में ट्रांसप्लान्ट किया जायेगा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

332
11/8/21

- 4- **शर्त संख्या-04** के क्रम में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी, जिससे प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।
- 5- **शर्त संख्या-05 (क)** के अनुपालन में नरेन्द्रनगर वन प्रभाग में प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष एन0पी0वी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 3.2387 हे0 हेतु @ 8,45,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 27,36,702.00 धनराशि धनराशि जमा करनी होगी। तथा शेष 0.7350 हे0 वन भूमि के सापेक्ष एन0पी0वी0 धनराशि की मांग टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी द्वारा किया जाना है, एन0पी0वी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

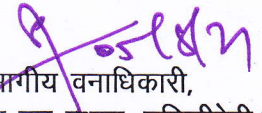
“प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आवंटित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है” :-

ईको-क्लास श्रेणी-	V
हरियाली का घनत्व-	0.50 MDF
एन0पी0वी की दर प्रति हे0-	मु0 8,45,000.00 (आठ लाख पैंतालीस हजार रुपये मात्र)
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल-	3.2387 हे0
कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि-	3.2387हे0X8,45,000.00 = 27,36,701.50 या 27,36,702.00

- शर्त संख्या- 05 (ख)** के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
- 6- **शर्त संख्या-06** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 174 Trees and 299 Saplings नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती) एवं 15 वृक्ष एवं 228 Saplings (टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी) से अधिक नहीं होगी का कटान/पातन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
- 7- **शर्त संख्या-07** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से ही मान्य होगी।
- 8- **शर्त संख्या-08** के अनुपालन में गार्डरलान्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा-11.2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 9- **शर्त संख्या-09** के अनुपालन एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- **शर्त संख्या-10** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।
- 11- **शर्त संख्या-11** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेंगे इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- 12- **शर्त संख्या-12** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 13- **शर्त संख्या-13** के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 14- **शर्त संख्या-14** के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 15- **बिन्दु संख्या-15** के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा की निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा

वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

- 16- **बिन्दु संख्या-16** के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्रॉक्कलन सम्बन्धित राजि अधिकारी से तैयार करवाकर प्रॉक्कलनानुसार धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पक्ष में जमा करना होगा।
- 17- **शर्त संख्या-17** के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
- 18- **शर्त संख्या-18** के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 19- **शर्त संख्या-19** के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 20- **बिन्दु संख्या-20** के अनुपालन में यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या-11-42/2017/एफ0सी0 दिनांक 29-01-2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।
- 21- **बिन्दु संख्या-21** के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है जो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनका भी पालन किया जायेगा।
- 22- **शर्त संख्या-22** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी।
- 23- **शर्त संख्या-23** के अनुपालन में प्रयोक्ता यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 24- **बिन्दु संख्या-24** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) पर भी अपलोड की जानी होगी।


प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- / दिनांकित

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी को भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- राजि अधिकारी, राजि को इस निर्देश के साथ कि बिन्दु संख्या-03 (क) के अनुपालन में मु0-29,47,707.00 धनराशि का संशोधित क्षतिपूरक वनीकरण का वृक्षारोपण प्रॉक्कलन, शर्त संख्या-03 (ग) के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल पर पूर्व में किसी भी योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है, इस आशय का प्रमाण-पत्र, शर्त संख्या-3 (घ), 3 (ड), शर्त संख्या-04 की अनुपालन आख्या एवं शर्त संख्या-16 के अनुपालन में आर0सी0सी0 पिल्लर द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का सीमांकन प्रॉक्कलन एवं विभाग से सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं की अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग को उपलब्ध कराते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।


प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।